Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged fraud committed ABG by Shipyard Ltd.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिला में मध्यवर्ती सहकारी बैंक में संचालक मंडल का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक खत्म हो गया, उसके बावजूद 2021 तक दो बार नौकरी भर्ती में घोटोले होने पर दो क्रिमिनल केस दर्ज हैं । हाल ही में मार्च, 2022 को महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग ने 165 पदों के लिए नौकरी भर्ती की मंजूरी दी है ।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 को जारी अपने आदेश में कहा था कि जिन जिला बैंकों के संचालक मंडल का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां प्रशासक नियुक्त करे और चुनाव हो । लेकिन सीडीसीसी बैंक में प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया । इसी बैंक के जनरल मैनेजर पर धोखाधड़ी के दो क्रिमनल केसेज दर्ज होने पर भी रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सहकारी विभाग की गाइडलाइन की अवहेलना करके वर्ष 2021 को जीएम नियक्त किया गया । इन्हीं सब बातों पर कम्पलेंट्स होने पर महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग ने कोई कार्रवाई सीडीसीसी बैंक पर नहीं की है ।

महोदय, एबीजी शिपयार्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है । वर्ष 2014 के बाद 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी हुई है । मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गुजरात राज्य से एक विशेष व्यवसायी हैं, जिसे 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद एबीजी समूह को सबसे अधिक लाभ बैंकिंग धोखाधड़ी से हुआ है । इसी समूह को विशेष सुविधा के साथ जमीन भी दी गई थी । फिर भी सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दो साल से अधिक समय लगा । मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार और सहकार मंत्री जी क्या इसकी जांच का आदेश देंगे । धन्यवाद ।